

158

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष नं 0141-2740530, 2741007
वेबसाइट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

भीम

क्रमांक :- प.5(324)निपेवि/नियम/2021/पार्ट - 02/2542-H दिनांक :- 12-01-23

अतिरिक्त निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर, अजमेर, कोटा,
भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर


विषय :- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 143 व
145 के अन्तर्गत पेंशन ऐरियर व जीवनकालीन ऐरियर की
स्वीकृति बाबत

भवदीय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत रु 3.00 लाख से अधिक किन्तु रु 7.50 लाख तक का पेंशन ऐरियर या जीवनकालीन ऐरियर का भुगतान अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय के अनुमोदन से भुगतान किया जायेगा।

प्रायः देखा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यह लिखकर प्रकरण लौटा दिया जाता है कि पेंशनर की पत्रावली जयपुर होने के कारण एल.टी.ए स्वीकृति हेतु प्रकरण निदेशालय में भिजवायें जबकि उक्त स्वीकृति हेतु पत्रावली की कोई आवश्यकता नहीं होती है अतः पेंशन नियम 1996 के नियम 143 व 145 के अन्तर्गत रु 3.00 लाख से अधिक किन्तु रु 7.50 लाख तक पेंशन ऐरियर एवं जीवनकालीन ऐरियर की स्वीकृति क्षेत्रीय कार्यालयों से ही जारी करावें अनावश्यक प्रकरणों को निदेशालय में भिजवाने हेतु नहीं लोटावें।

भवदीय


निदेशक